प्रेषक,

8(1)/XXXVI(1)/2006

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उच्च न्यायालय,
उत्तरांचल, नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 9 जून, 2006

विषय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय परिसर, देहरादून में हवालात के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1032/UHC/Admn.B/Const./2005, दिनांक 24.4.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय परिसर, देहरादून में हवालात के पुनर्निर्माण हेतु रु० 12,07,000/- के आगणन के विरुद्ध टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत रु० 7,95,000/- (रुपये सात लाख पन्चानवे हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 7,95,000/-(रुपये सात लाख पंचानवे हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तद्पोरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(4) एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जाय ।

(5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकि दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यो को सम्पादित किया जाय ।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल की भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाय ।

(7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(9) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

(10) किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय ।

(11) यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय ।

(12) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होगें ।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-03-न्यायिक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 310/वित्त अनुभाग-5/2006, दिनांक 30.5.06 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीया,

(इन्दिरा आशीष)
सचिव ।

संलग्नक : यथोक्त ।

संख्या : 10-दो(1)/XXXVI(1)/2006-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराचंल, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
7. सम्बन्धित सहायक/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव ।